भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 3953

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 दिसंबर, 2016/18 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया गया)

<u>स्टार्ट-अप के लिए धनराशि तक पहुंच</u>

3953. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवर्तनीय नोट मार्ग के माध्यम से स्टार्टअप के लिए धनराशि तक पहुंच को सुगम बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत एकल वित्तांश में परिवर्तनीय नोट द्वारा 25 लाख या इससे अधिक के वित्तपोषण को जमा नहीं माना जाएगा;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने ऐसा करने के लिए कानूनों में संशोधन किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या सुविधाएं दी जा रही हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ): कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 यह प्रावधान करने के लिए संशोधित किए गए हैं कि किसी स्टार्ट-अप कंपनी द्वारा एकबार में किसी व्यक्ति से परिवर्तनीय नोट (साम्या शेयर में परिवर्तनीय या जमा करने की तारीख से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अंदर वापस करने योग्य) के माध्यम से प्राप्त की गई पच्चीस लाख रुपए या अधिक की राशि को जमा नहीं माना जाएगा। साथ ही स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ होने के बाद से स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल-प्रयास किए गए हैं। इसका विवरण अनुलग्नक-क में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-क

स्टार्ट-अप के लिए धनराशि तक पहुंच के संबंध में दिनांक 09.12.2016 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3953 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

क. कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अधिसूचित विभिन्न नियमों में संशोधन करके स्टार्टअप सहित कंपनियों के लिए छूट का प्रावधान किया गया है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं –

(क) जमा स्वीकार करने की अधिकतम सीमा पहले के निवल मूल्य के 25% की तुलना में 35% तक बढ़ा दी गई है;
(ख) स्टार्टअप को अपने कर्मचारियों के रूप में कार्य करने वाले संप्रवर्तकों को एम्पलायी स्टाक ऑपशन जारी करने की अनुमति देना;
(ग) किसी कंपनी द्वारा जारी की जा सकने वाली स्वैट साम्या के संबंध में सीमा को समादत्त पूंजी के 25% से बढाकर समादत्त पूंजी के 50% तक करना;

2. नामों की निर्बाध उपलब्धता और शीघ्र निगमन: कंपनियों को नए नाम चुनने की अनुमति देने के लिए नाम उपलब्धता दिशानिर्देश संशोधित किए गए हैं जिससे कंपनियां को अभिनव नाम चुनने की अनुमति मिल सके। नाम उपलब्ध कराने की प्रक्रिया एक विशेष "केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र" (सीआरसी) को सौंपी गई है जिसमें अगले कार्यदिवस के भीतर नाम अनुमोदित किए जा रहे हैं। सीआरसी कंपनियों के निगमन/पंजीकरण का कार्य भी संभाल रहा है। निगमन का कार्य यदि आवेदक एकीकृत निगमन प्ररूप एसपीआईसीई फाइल में आवेदन करे तो एक दिन में किया जा रहा है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 के अधीन चार श्रेणी की कंपनियों को छूट दी गई है – प्राइवेट कंपनियां, सरकारी कंपनियां, निधि और धर्मार्थ कंपनियां और इन कंपनियों को इस कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न अनुपालनों और अन्य अपेक्षाओं से छूट दी गई है। प्राइवेट कंपनियों को दी गई छूट से स्टार्टअप पर अनुपालन का भार कम हुआ है।

ख. औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग द्वारा किए गए उपाय

1. फंड ऑफ फंड्स

स्टार्टअप के लिए राशि उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सीडबी) में एक 'फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्पअप (एफएफएस)' का सृजन किया है।

एफएफएस विभिन्न स्टार्पअप के साम्या और साम्या संबंधित लिखतों में निवेश के लिए वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में अंशदान करेगा। एफएफएस का प्रबंधन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सीडबी) द्वारा किया जाता है जिसके लिए कार्यात्मक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। वर्ष 2015-16 में एफएफएस कोष के लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए गए।

2. स्टार्टअप कंपनियों के लिए ऋण गारंटी निधि

- चूंकि स्टार्टअप कंपनियों के लिए ऋण उपलब्ध कराना एक अति जोखिम कार्यकलाप माना जाता है, अतः स्टार्टअप कंपनियों के लिए अगले चार वर्षों में 500 करोड़ रुपए की बजट राशि के साथ ऋण गारंटी कोष की स्थापना की जा रही है, जिससे स्टार्टअप कंपनियों को ऋण देने वाले बैंकों और ऋण दाता संस्थाओं को ऋण गारंटी दी जा सके।
- जारी होने के पश्चात, एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना के अनुरूप बनी योजनाओं से स्टार्टअप कंपनियों को अति आवश्यक ऋण देने में प्रोत्साहन मिलने की संभावना है, जो कई हज़ार करोड़ तक भी हो सकती है।

3. स्टार्ट अप कंपनियों की सार्वजनिक सरकारी खरीद के मानकों में छूट

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए पूर्व अनुभव/कारोबार (टर्नओवर) संबंधी मानकों में छूट के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की सरकारी खरीद नीति (नीति परिपत्र सं. 1(2)(1)/2016-एमए, दिनांक 10 मार्च, 2016) में प्रावधान किया गया है। जिससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए पूर्व अनुभव/कारोबार से संबंधी मानकों में छूट दी जाए। व्यय विभाग ने सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा मध्यम उद्यमों संबंधी सार्वजनिक सरकारी खरीद मानकों में छूट के लिए एक अधिसूचना जारी की है।

4. कर प्रोत्साहन:

- **3 वर्षीय कर छूट**

वित्त अधिनियम, 2016 (धारा 80-आईएसी) में स्टार्ट्रअप कंपनियों (कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी) यदि ये कंपनियां 01 अप्रैल, 2016 और 31 मार्च 2019 के बीच निगमित हुई है के लिए 5 ब्लाक वर्षों में से 3 वर्षों के लिए आयकर छूट का प्रावधान है, इन लाभों का प्रयोग करने के लिए स्टार्ट् अप कंपनियों को अंतर-मंत्रालयी बोर्ड से पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

- **एंजेल कर समाप्त करना:**

दिनांक 14 जून, 2016 को किसी स्टार्ट अप कंपनी के शेयरों के अंकित मूल्यों से अधिक निवेश करने पर कर छूट देने की शुरुआत की गई।

- **पूंजी लाभ पर कर छूट:**

वित्त अधिनियम, 2016 के तहत धारा 54ङ ड की शुरुआत की गई जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निधि में दीर्घावधि पूंजी आस्ति के अंतरण से अर्जित पूंजी लाभ पर छूट दी गई है।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54छ ख का संशोधन किया गया जिससे यदि पात्र स्टार्टअप कंपनियों के इक्विटी शेयरों में राशि का निवेश किया गया है, तो रिहायशी आवास या रिहायशी भू-खंड की विक्रय से अर्जित पूंजी पर कर छूट दिया गया है।

5. कम लागत में न्यायिक समर्थन और फास्ट टैकिंग पेटेंट परीक्षण

स्टार्टअप कंपनियों द्वारा पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिज़ाईन के फास्ट ट्रैक फाइलिंग की सुगमता के लिए स्टार्टअप आईपीआर संरक्षण (एसआईपीपी) योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना में स्टार्टअप कंपनयिों द्वारा दाखिल किए गये पेटेंट के त्वरित परीक्षण का प्रावधान है, इससे पेटेंट प्राप्त करने में कम समय लगेगा। स्टार्ट अप के लिए पेटेंट दाखिल करने के शुल्क में 80 प्रतिशत कटौती कर दी गई है। पेटेंट और ट्रेडमार्क आवेदन के लिए मददगारों का पैनल तैयार किया गया है जिससे पेटेंट फाइलिंग और मांग की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके। ये मददगार बिना किसी लागत के न्यायिक सलाह देंगे और संपूर्ण पेटेंट मांग प्रक्रिया में मार्ग दर्शन करेंगे।

6. स्वतः प्रमाणन आधारित अनुपालन प्रणाली

पर्यावरण और श्रम कानूनों से संबंधित अनुपालन मानकों को स्टार्टअप कंपनियों पर नियामक बोझ कम करने के लिए आसान किया गया है ताकि वे अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केन्द्रित कर सकें और अनुपालन लागतों को कम रख सकें। पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने 36 व्हाइट श्रेणी की इंडस्ट्रीज़ की एक सूची प्रकाशित की है। ''व्हाईट श्रेणी'' के तहत आने वाली स्टार्टअप कंपनियों को 3 पर्यावरण अधिनियमों के संबंध में स्वतः- प्रमाणित अनुपालन करने में सक्षम बनाया जाएगा –

- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974

- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2003
- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981

.....3/-

इसके अतिरिक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएलएफ) ने राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनके द्वारा स्टार्टअप कंपनियों को 6 श्रम कानूनों के संबंध में स्वतः प्रमाणित अनुपालन करने की अनुमति दी जाएगी। यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहमति के बाद प्रवृत किए जाएंगे। ये अधिनियम निम्नलिखित हैं :-

- भवन एवं अन्य निर्माण (रोजगार विनियम और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996
- अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979
- उपदान संदाय अधिनियम, 1972
- ठेका श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970
- कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

अभी तक 9 राज्यों ने श्रम रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) द्वारा जारी किए गए परामर्श के अनुपालन की पुष्टि की है :-

- राजस्थान
- उत्तराखंड
- मध्यप्रदेश
- छत्तीसगढ़
- दिल्ली
- झारखंड
- गुजरात
- चंडीगढ़
- दमन और दीव

7. इंक्यूबेटरों की स्थापना

- अटल नवाचार योजना के तहत, नीति आयोग, पब्लिक और प्राइवेट क्षेत्र में अटल इंक्यूबेशन केन्द्रों (एआईसी) की स्थापना करेगा। नीति आयोग में अटल इंक्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना के लिए पब्लिक और प्राइवेट क्षेत्र के संगठनों से 3658 आवेदन (शैक्षणिक संस्थानों से 1719 और गैर-शैक्षणिक संस्थानों से 1939) प्राप्त हुए हैं।
- इस योजना के तहत किसी वर्तमान इंक्यूबेटर को अधिकतम 5 वर्षों के लिए सेंटर चलाने में लगी पूंजी और परिचालन लागतों को पूरा करने के लिए 10 करोड़ रुपए की सहायता-अनुदान दिया जाएगा। नीति आयोग की 232 आवेदन स्थापित इंक्यूबेटर सेंटरों को ऊपरी पैमाने पर सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त हुए हैं।

8. स्टार्टअप केंद्रों और तकनीकी व्यवसाय इंक्यूबेटरों (टीबीआई) की स्थापना करना

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) और विज्ञान और तकनीकी विभाग (डीएसटी) द्वारा मिलकर 14 स्टार्टअप केन्द्रों और 15 तकनीकी व्यवसाय इंक्यूवेटरों की स्थापना की जानी है। 14 स्टार्टअप केन्द्रों में से 10 को स्वीकृति दी जा चुकी है। प्रत्येक स्टार्टअप केन्द्र के लिए एमएचआरडी द्वारा प्रत्येक के लिए 25 लाख रुपए जारी करते ही स्टार्टअप केन्द्रों को दिसंबर, 2016 तक डीएसटी द्वारा समर्थन दिया जाएगा।

15 टीबीआई को स्वीकृत करने का लक्ष्य दिसंबर, 2016 तक पूरा करने का अनुमान है।

9. अनुसंधान पार्क

स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के अनुसार 7 अनुसंधान पार्कों की स्थापना की जाएगी। इन 7 में से आईआईटी खड़गपुर में पहले से ही एक अनुसंधान पार्क कार्यात्मक है। इसके अतिरिक्त, डीएसटी द्वारा अनुसंधान पार्क की स्थापना आईआईटी गांधीनगर में और शेष 5 की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आईआईटी गुवाहटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और आईआईएमसी बैंगलोर में की जाएगी।

*****